भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2584

उत्तर देने की तारीख : 19.12.2023

वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाएं

2584. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:
श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे:
श्री मनोज कोटक:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यक सेवाओं, वित्तीय सहायता और सुरक्षात्मक उपायों तक पहुंच हो सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार वृद्ध जनसंख्या की विशिष्ट चुनौतियों और आवश्यकताओं का किस प्रकार से समाधान करती है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) की अंब्रेला स्कीम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, आश्रय, कल्याण आदि उपलब्ध कराने वाले घटक शामिल हैं। ऐसी घटकों में से एक नामतः वरिष्ठ नागरिक एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) के अंतर्गत, वरिष्ठ नागरिक गृहों के संचालन तथा रखरखाव के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जहां निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के अंतर्गत, बीपीएल परिवारों से संबंधित 15000/- रुपए से कम की मासिक आय वाले तथा उम्र से संबंधित विनिर्योग्यताओं से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को शिविरों के माध्यम से जीवन सहायक यंत्र निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। एल्डरलाइन/राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएससी) (टोल-फ्री नं.14567) वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु दुर्व्यवहार तथा बचाव एवं राहत के मामलों में मुफ्त जानकारी, मार्गदर्शन, भावनात्मक सहयोग और फील्ड इन्टरवेंशन उपलब्ध कराती है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजीई) नामक घटक का लक्ष्य युवाओं को वृद्धजनों की समस्याओं के बारे में सोचने और वृद्धजनों की देखभाल के लिए नए विचारों के साथ आगे आने के लिए उन्हें इक्विटी सपोर्ट उपलब्ध कराकर स्टार्ट-अप में बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) संबंधी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत, भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की एक पूरी तरह से वित्त पोषित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) परिवारों के 60-79 वर्ष के आयु वर्ग के वृद्धजनों को 200/- रूपए प्रति माह प्रति लाभार्थी मासिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। 80 वर्ष की आयु होने पर पेंशन की राशि बढ़ाकर 500/- रूपए प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दी जाती है।राज्य/संघ राज्य को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के बराबर कम से कम टॉप अप राशि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि लाभार्थियों को उचित स्तर की सहायता मिल सके। वर्तमान में, राज्य/संघ राज्य एनएसएपी के आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत 50/- रूपए प्रति माह प्रति लाभार्थी से लेकर 3000/- रूपए तक की टॉप अप राशि जोड़ रहे हैं। एनएसएपी पेंशन स्कीमों के अंतर्गत सहायता स्कीम के लाभार्थियों की अधिकतम सीमा स्कीम-वार, राज्य/संघ राज्य-वार मंजूर की जाती है। वर्तमान में, देश में आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या लगभग 2.21 करोड़ है तथा इस स्कीम ने सभी राज्यों/संघ राज्यों में लगभग 100% संतृप्ति प्राप्त कर ली है। यदि एनएसएपी पेंशन स्कीमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य की अधिकतम सीमा से अधिक पात्र लाभार्थी हैं तो राज्यों/ संघ राज्यों के पास अपने स्रोतों से पेंशन उपलब्ध करने का विकल्प है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2010-11 के दौरान वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य देखभाल संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) का शुभारंभ किया था जिसका उद्देश्य विभिन्न स्तर की राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रणाली अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सत्रों पर, आउटरीच सेवाओं सहित, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समर्पित स्वास्थ्य देखभाल सेवा उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के दो घटक नामत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) अर्थात जिला अस्पतालों (डीएच), समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी), उप-केन्द्र/स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती केन्द्र के माध्यम से प्राथमिक एवं द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवा सुपुर्दगी तथा तृतीय घटक अर्थात ये सेवाएं भारत के 18 राज्यों के 19 चिकित्सा महाविद्यालयों तथा 2 राष्ट्रीय वृद्धावस्था केन्द्रों (एनसीए) जिनमें से एक एम्स, अंसारी नगर, नई दिल्ली में तथा दूसरा मद्रास चिकित्सा महाविद्यालय, चेन्नई में अवस्थित क्षेत्रीय जरा-चिकित्सा केन्द्रों (आरजीसी) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों संबंधी अनुसंधान कार्य भी शामिल है। इसके अलावा, सरकार ने 10 करोड़ गरीबों और असुरक्षित परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई का शुभारंभ किया था। इसमें द्वितीयक और तृतीयक रूप से अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कवरेज उपलब्ध कराया जाता है। पीएमजेएवाई के आरंभ होने के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम (एससीएचआईएस) का इसमें विलय कर दिया गया है। आरएसबीवाई और एससीएचआईएस के सभी नामांकित लाभार्थी परिवार आयुष्मान भारत - पीएमजेएवाई के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

*****